


राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.2(1)नविवि / 11 / 2024

जयपुर, दिनांक:

--: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.03.2024 के अनुसार किये गये कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन करते हुए अग्रिम आदेशों तक कार्य विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

<p>1. श्री राकेश कुमार गुप्ता (शासन उप सचिव-द्वितीय)</p>	<p>वरिष्ठ शासन उप सचिव को सौंपे गये निम्नांकित कार्यों का पर्यवेक्षण:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. प्रभारी विधानसभा प्रकोष्ठ, विधानसभा व संसद के प्रश्न एवं आश्वासन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं विशेष उल्लेख प्रस्ताव आदि विधानसभा संबंधि समस्त कार्य। उप शासन सचिव विधानसभा प्रश्न/आश्वासन आदि का उत्तर तैयार कर प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करेंगे।2. विधानसभा की समितियों पर कार्यवाही (यथा लोकसेवा समिति, लोक प्राक्कलन समिति, पी.ए.सी. , राजकीय उपक्रम व अन्य समितियों से संबंधित समस्त कार्य)।3. सूचना का अधिकार, लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, लोकायुक्त व मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रकरणों में विभागीय पैरवी तथा विविध कार्य।
<p>2. श्री राकेश कुमार (शासन उप सचिव-तृतीय)</p>	<p>वरिष्ठ शासन उप सचिव को सौंपे गये निम्नांकित कार्यों का पर्यवेक्षण:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. राईजिंग राजस्थान, रिसर्जेन्ट राजस्थान-2, राज निवेश व सिंगल विण्डो इत्यादि के संबंध में उद्योग विभाग में होने वाली बैठकों हेतु नोडल अधिकारी।2. ब्यूरो फॉर पार्टनरशिप इन राजस्थान समिति से संबंधित समस्त कार्य।3. अभियान्त्रिकी अधिकारियों से संबंधित संस्थापन का समस्त कार्य।4. प्राधिकरणों/न्यासों से संबंधित संस्थापन का समस्त कार्य। <p style="text-align: center;">RajKaj Ref 11687188</p> 

	<p>5. नगर नियोजन से संबंधित संस्थापन से संबंधित कार्य ।</p> <p>6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एन.सी.आर.) के संस्थापन कार्य व योजना से संबंधित मामले ।</p>
--	---

उक्त संशोधनों के अतिरिक्त शेष कार्य यथावत रहेंगे ।

आज्ञा से,

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ।
2. शासन उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ।
3. शासन उप सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग ।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर ।
5. मुख्य अभियन्ता, नगरीय विकास विभाग ।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग ।
7. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग ।
8. उप निदेशक, सांख्यिकी, नगरीय विकास विभाग ।
9. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, नगरीय विकास विभाग ।
10. समस्त सहायक शासन सचिव/अनुभागाधिकारी, नगरीय विकास विभाग ।
11. रक्षित पत्रावली ।

प्रमुख शासन सचिव